अनुसूची 14 फारम सं0 502।

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

पप्पु कुमार
V/3
शरजु पटवा एवं अन्य
सुरेन्द्र पटवा

देश पत्रक ता0– 06/06/25 से तक

जला– बोकारो केश सं0– 23 /2025–26

केश का प्रकार– विविध वाद

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
06/06/25	आवेदक पप्पु कुमार पिता स्व0 सलेश प्रसाद, ग्राम– हजारी, पो0– स्वांग, थाना– गोमिया, जिला– बोकारो के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि मौजा– हजारी के खाता सं0 28, प्लॉट सं0 3065, रकवा 43 डी0 जमीन जगरनाथ पटवा के नाम से खतियान में दर्ज है। उनके वंशज के द्वारा इस जमीन को शरजु पटवा वल्द देयाल महतो को रकवा 43 डी0 मध्ये 25 डी0 रेहन के द्वारा दिया गया था। परन्तु शरजु पटवा उनके उक्त जमीन को परमानन्द पटवा पिता स्व0 मसुदन पटवा, ग्राम– हजारी, टोला– पटवा बस्ती, पो0– स्वांग, थाना– गोमिया, जिला–बोकारो को बिक्री कर दिये। पुनः परमानन्द पटवा पिता स्व0 मसुदन पटवा ने उक्त भूमि 25 डी0 को केदारनाथ पटवा के पुत्र रामजी पटवा एवं सुरेन्द्र पटवा (भतिजा) के हाँथो बिक्री कर दिया गया, जो गलत है। वर्तमान समय में अंचल कार्यालय, गोमिया के पंजी 2 के वर्तमान भाग सं0 5, पेज सं0 31 में केदार नाथ पटवा के नाम से दर्ज है, जो गलत तरीके से दर्ज करवा लिया गया है। अंत में उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन को वापस करने हेतु कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी को सूचना निर्गत करें। अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक– 23/06/2025 को रखें। 6/6/25 अंचल अधिकारी, गोमिया।	1123 06/06/2025 Notice
23/06/2025	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। Put up on 14/07/25. 23/6/25 अंचल अधिकारी गोमिया।	

14/07/25	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक की ओर से हाजिरी की गई है। द्वितीय पक्ष की ओर से लिखित जवाब दाखिल किया गया है। दोनों पक्षों को सुना गया। सुनवाई अभी जारी है। Put up on 30/07/2025 [signature] 14-7-25 अंचल अधिकारी गोमिया
30/07/2025	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष की ओर से हाजिरी की गई है। दोनों पक्षों को सुना गया। प्रश्नगत भूमि के और भी दावेदार हैं, जिन्हें सूचना दिया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी से उन सभी दावेदारों का नाम प्राप्त कर उन्हें सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक-08/08/25 को रखें। [signature] 30/7/25 अंचल अधिकारी गोमिया
08/08/25	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष की ओर से हाजिरी की गई है। आवेदक की ओर से हाजिरी की गई है। दोनों पक्षों को सुना गया। अभिलेख दिनांक-21/08/25 को आदेश हेतु रखें। [signature] 8/8/25 अंचल अधिकारी गोमिया

म
रीख

8/25

156
31/07/25 Notice

क्रम तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	2	3
8/25	अभिलेख उपस्थापित किया गया। दोनो पक्ष उपस्थित है एवं एक समझौता पत्र दाखिल किये है, जो कि प्रश्नगत भूमि अवस्थित मौजा-हजारी के खाता सं०-28, प्लॉट सं०-3065 रकबा-43 डी० भूमि से संबंधित है। इस समझौता पत्र के माध्यम दोनों पक्षों के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि संबंधी विवाद को आपसी समझौता के माध्यम से निपटारा कर लिया गया है। अब उक्त भूमि को लेकर इनके बीच कोई विवाद नहीं है। समझौता पत्र की मूल प्रति दाखिल करते हुए आवेदक के द्वारा इस वाद को वापस लेने हेतु अनुरोध किया गया है। वर्णित परिस्थिति में पक्षकारों की ओर से दाखिल समझौता पत्र को स्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 28/8/25 [illegible] अधिकारी गोमिया। 23/8/25 अंचल अधिकारी गोमिया।	

Digitally signed by Md Aftab Alam
Date: 2025.09.12 17:00:03 +05:30
Location: 10.184.43.139